भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3409** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

बिहार में आईडब्ल्यूडीसी के लिए निवेश पैकेज

†3409. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की दूसरी बैठक के दौरान घोषित 1405.26 करोड़ रुपए के निवेश में से विशेष रूप से बिहार राज्य में अब तक कितनी धनराशि जारी और उपयोग की गयी है;

(ख) उक्त निवेश पैकेज के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं और उनकी कार्यान्वयन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में नदियों के किसी खंड को राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली (एनआरटीएंडएनएस) के अंतर्गत उच्च या मध्यम पोत घनत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का नदी पर निर्भर आबादी, विशेषरूप से बाढ़ - प्रवण क्षेत्रों की आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बिहार में नदी समुदाय विकास योजना का एक पायलट संस्करण शुरू करने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की दूसरी बैठक में घोषणा के पश्चात परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। अब तक 45.01 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिहार के संबंध में, आईडब्ल्यूडीसी की दूसरी बैठक में घोषित परियोजनाओं में लगभग 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत खरीद से 4 क्रिक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) की खरीद शामिल है, इसके लिए खरीद प्रक्रिया आरंभ की गई है। बिहार राज्य में पूर्ण/ चालू परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली (एनआरटीएंडएनएस) के अंतर्गत राज्य में नदी के किसी भी खंड को उच्च या मध्यम जलयान घनत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(घ): गंगा नदी के तट पर सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्रिय करने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना में अर्थ गंगा की संकल्पना को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाइयों, बागवानी विशेषज्ञों, फ्लोरिस्ट और कारीगरों के लिए सरल लॉजिस्टिक्स उपाय प्रदान करके लोगों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समावेशी विकास करना था। अर्थ गंगा के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने 60 सामुदायिक जेट्टी (उत्तर प्रदेश - 15, बिहार - 21, झारखंड - 2, पश्चिम बंगाल - 22) अंतर्देशीय जलमार्गों की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों हेतु छोटे जलयानों के लिए स्थानीय बर्थिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। बिहार में सभी 21 सामुदायिक जेट्टियों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सामुदायिक जेट्टियों पर प्रतिदिन 64,000 से 1,22,000 यात्री आते हैं।

अनुबंध

बिहार में परियोजनाएं

पूर्ण/ चालू परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
1.	आईएमटी कालूघाट	• सारण, बिहार में विकसित
2.	2 रो-पैक्स जलयान	• एमवी राजेंद्र प्रसाद और एमवी स्वामी परमहंस को राज्य सरकार को सौंपा गया।
3.	सामुदायिक जेटी	• 21 सामुदायिक जेटी विकसित और चालू की गईं
4.	क्विक पोंटून ओपेनिंग तंत्र (क्यूपीओएम)	• क्यूपीओएम मौजमपुर (आरा) में 1 तैनात
5.	फेयरवे रखरखाव	• फरक्का-कहलगांव खंड • सुल्तानगंज-महेंद्रपुर खंड • महेंद्रपुर-बाढ़ खंड
6.	राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौचालन संस्थान (एनआईएनआई)	• पटना में चालू
7.	गायघाट टर्मिनल, पटना	• चालू
8.	फेयरवे रखरखाव	• फरक्का-कहलगांव खंड • सुल्तानगंज-महेंद्रपुर-बाढ़ खंड • बाढ़-दीघा खंड • दीघा-मझौआ खंड • कालूघाट एक्सेस चैनल
9.	एनआईएनआई का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकास	अवसंरचना का अपडेट करना अर्थात कक्षाएँ और प्रशिक्षण उपकरण
10.	सामुदायिक जेटी के लिए तटवर्ती सुविधाएँ	• 8 स्थानों के लिए निर्माण किया जा रहा है

*****